निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
63/2020	26.11.2020	25.3.2021

1.रूपचन्द गुर्जर पुत्र स्व0 रामजीलाल उम्र 52 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मठ(गुरजा) तहसील वजीरपुर ।

—वादी

बनाम

1. अमरसिहं पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मठ (गुरजा)तहसीलवजीरपुर।
2. .नरेश पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मठ (गुरजा)तहसीलवजीरपुर।
3. धर्मे पुत्र कंचन जाति गुर्जर निवासी मठ (गुरजा)तहसीलवजीरपुर।
4. भाग्यसिहं पुत्र अमरसिहं जाति गुर्जर निवासी ग्राम मठ (गुरजा)तहसीलवजीरपुर।
5. उर्मिला पत्नि अमरसिहं जाति गुर्जर निवासी ग्राम मठ (गुरजा)तहसीलवजीरपुर।
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा ग्राम मेडी जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील वजीरपुर।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री छुट्टन लाल बैरवा एडवोकेट वादी की और से

निर्णय

वादी द्वारा वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं0 107 रकवा 0.08 हैक्टर,108 रकवा 0.04 हैक्टर,109 रकवा 0.09 हैक्टर,189 रकवा 0.23 हैक्टर, 196 रकवा 0.24 हैक्टर, 198 रकवा 0. 01 हैक्टर,199 रकवा 0.25 हैक्टर, 202 रकवा 0.25 हैक्टर कुल रकवा 1.19 हैक्टर स्थित ग्राम मठ तहसील वजीरपुर में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/3 शामलाती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 है। इसी प्रकार प्रतिवादी

संख्या 3 का हिस्सा 1/2 है। उक्त भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है तथा पुर्वजों के समय से ही बाहमी बंटवारे के मुताबिक कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की नियत में बेईमानी आ गई है तथा वादी को उसके हिस्से से बेदखल करना चाहते है। वादी ने इस वर्ष अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में गेंहु की फसल करना चाही तो प्रतिवादी संख्या 1,4 व 5 ने फसल काश्त करने नही दी बडी मुश्किल से अनुनय विनय के बाद खसरा नं0 202 पर गेंहु की फसल काश्त करने दी तथा अब देखभाल नही करने दे रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1,4 व 5 ने बिना विभाजन ही भूमि खसरा नं0 198 गैर मुमकिन चाह के पास स्थित खसरा नं0 199 रकबा 0.25 हैक्टर के बीचों बीच जबरन अतिक्रमण कर पक्का निमार्ण कर लिया तथा कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया मना करने पर मारपीट करने पर आमदा हो गये तथा मकान पर रहना प्रांरभ कर दिया । दिनांक 22.10.2017 को वादी की हिस्से की भूमि खसरा नं0 202 पर नाबालिग बच्चों को शौच करने भेज दिया, सिचांई के पाइपों को तोडना चालू कर दिया, मना करने पर फौस गालियां देना प्रारंभ कर दिया,लाठी डण्डे लेकर झगडे को आमदा हो गये तथा धमकी दी की तुम्हारी काश्त की फसल को उलट देगें तुम्हारी हिस्से की भूमि पर कब्जा करेगें तथा तुम्हे काश्त नही करने देगें इसलिए उपरोक्त वर्णित भूमि का बाईमीट्स एण्ड बाई बाउन्ड के आधार पर विभाजन किया जाकर प्रतिवादी सं0 3 का 1/2 हिस्सा कायम किया जावे शेष में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का समान रूप से 1/3—1/3 हिस्सा अलग से कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रेस व रेवन्यु रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी को उसके कब्जे की भूमि के उपभोग उपयोग में बाधा उत्पन्न नही करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 07.12.2017 को प्रतिवादीगण 1व 5 की और से श्री मोहम्मद अजीम एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2,3,6 व 7 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी पुनः किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 24.01.2018 को प्रतिवादी संख्या 6 की और से श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 7 सी.पी.सी. व वकालत नामा पेश किया जिस पर वकील वादी को एतराज नही होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध दिनांक 07.12.2017 को की गई एक तरफा कार्यवाही निरस्त की गई। प्रतिवादी नं0 4 बावजूद तामील उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 24.1.2018 को एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 16.4.2018 को जवाब प्रतिवादीगण बंद किया गया । वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये हैं एवं स्वयं का व राजाराम गुर्जर का शपथपत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

दिनांक 19.4.2019 को दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:—

1.भूमि खसरा नंबर 107 रकवा 0.08 हैक्टर,108 रकवा 0.04 हैक्टर,109 रकवा 0.09 हैक्टर,189/1 रकवा 0.14 हैक्टर, 196 रकवा 0.24 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकवा 0.59 हैक्टर की खातेदारी धर्मे पुत्र कंचन जाति गुर्जर सा. दे हके नाम रहेगी।

2.भूमि खसरा नंबर 202 रकवा 0.20 हैक्टर की खातेदारी रूपचन्द पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर सा.देह के नाम रहेगी।

3.भूमि खसरा नम्बर 199 रकवा 0.05 हैक्टर,189 रकवा 0.09 हैक्टर, 202/1 रकवा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.19 हैक्टर की खातेदारी नरेश पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर सा.देह के नाम रहेगी।

4.भूमि खसरा नंबर 199 रकवा 0.20 हैक्टर की खातेदारी अमरसिहं पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर सा.देह राहिन भारतीय स्टेट बेंक शाखा मैडी के नाम रहेगी।

5.भूमि खसरा नंबर 198 रकवा 0.01 हैक्टर की खातेदारी धर्मे पुत्र कंचन हिस्सा 1/2 ,रूपचन्द,नरेश पिसरान रामजीलाल जाति गुर्जर हिस्सा 1/3, हिस्सा बराबर बिलाइजन,अमरसिहं पुत्र रामजीलाल गुर्जर हिस्सा 1/6 राहिन भारतीय स्टेट बेंक शाखा मैडी मुर्तहिन सा.देह खातेदार के नाम रहेगी।

उपरोक्त विभाजन स्कीम प्राप्त होने पर वकील वादी को स्कीम पर सुना गया वकील वादी मुताबिक स्कीम भूमि का विभाजन करने पर सहमत है इसलिए दावा वादी मुताबिक विभाजन स्कीम अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः दावा वादी डिक्री घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भूमि की खातेदारी निम्नानुसार दर्ज की जावे कि :–

1.भूमि खसरा नंबर 107 रकवा 0.08 हैक्टर,108 रकवा 0.04 हैक्टर,109 रकवा 0.09 हैक्टर,189/1 रकवा 0.14 हैक्टर, 196 रकवा 0.24 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकवा 0.59 हैक्टर की खातेदारी धर्मे पुत्र कंचन जाति गुर्जर सा. दे हके नाम रहेगी।

2.भूमि खसरा नंबर 202 रकवा 0.20 हैक्टर की खातेदारी रूपचन्द पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर सा.देह के नाम रहेगी।

3.भूमि खसरा नम्बर 199 रकवा 0.05 हैक्टर,189 रकवा 0.09 हैक्टर, 202/1 रकवा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.19 हैक्टर की खातेदारी नरेश पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर सा.देह के नाम रहेगी।

4.भूमि खसरा नंबर 199 रकवा 0.20 हैक्टर की खातेदारी अमरसिहं पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर सा.देह राहिन भारतीय स्टेट बेंक शाखा मैडी के नाम रहेगी।

5.भूमि खसरा नंबर 198 रकवा 0.01 हैक्टर की खातेदारी धर्मे पुत्र कंचन हिस्सा 1/2 ,रूपचन्द,नरेश पिसरान रामजीलाल जाति गुर्जर हिस्सा 1/3, हिस्सा बराबर

बिलारहन,अमरसिंह पुत्र रामजीलाल गुर्जर हिस्सा 1/6 राहिन भारतीय स्टेट बैंक शाखा मेडी मुर्तहिन सा.देह खातेदार के नाम रहेगी। इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावे। तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के हिस्से की भूमि के बब्जे काश्त में बाधा उत्तपन्न नही करें। पर्चा डिकी पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1.रूपचन्द गुर्जर पुत्र स्व0 रामजीलाल उम्र 52 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मठ(गुरजा) तहसील वजीरपुर ।

——वादी

बनाम

1. अमरसिहं पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मठ (गुरजा)तहसीलवजीरपुर।
2. नरेश पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मठ (गुरजा)तहसीलवजीरपुर।
3. धर्मे पुत्र कंचन जाति गुर्जर निवासी मठ (गुरजा)तहसीलवजीरपुर।
4. भाग्यसिहं पुत्र अमरसिहं जाति गुर्जर निवासी ग्राम मठ (गुरजा)तहसीलवजीरपुर।
5. उर्मिला पत्नि अमरसिहं जाति गुर्जर निवासी ग्राम मठ (गुरजा)तहसीलवजीरपुर।
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा ग्राम मेडी जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील वजीरपुर।
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री छुट्टन लाल बैरवा एडवोकेट वादी की और से

मुकदमा नं. — 13/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री छुटटन लाल बैरवा,एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई पेश होकर, हुक्म दिया जाता है दावा वादी डिक्री घोषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भूमि की खातेदारी निम्नानुसार दर्ज की जावे कि :—

1.भूमि खसरा नंम्बर 107 रकवा 0.08 हैक्टर,108 रकवा 0.04 हैक्टर,109 रकवा 0.09 हैक्टर,189/1 रकवा 0.14 हैक्टर, 196 रकवा 0.24 हैक्टर कुल किता 5 कुल

रकवा 0.59 हैक्टर की खातेदारी धर्मे पुत्र कंचन जाति गुर्जर सा. दे हके नाम रहेगी।

2.भूमि खसरा नंम्बर 202 रकवा 0.20 हैक्टर की खातेदारी रूपचन्द पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर सा.देह के नाम रहेगी।

3.भूमि खसरा नम्बर 199 रकवा 0.05 हैक्टर,189 रकवा 0.09 हैक्टर, 202/1 रकवा 0.05 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकवा 0.19 हैक्टर की खातेदारी नरेश पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर सा.देह के नाम रहेगी।

4.भूमि खसरा नंम्बर 199 रकवा 0.20 हैक्टर की खातेदारी अमरसिहं पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर सा.देह राहिन भारतीय स्टेट बेंक शाखा मैडी के नाम रहेगी।

5.भूमि खसरा नंम्बर 198 रकवा 0.01 हैक्टर की खातेदारी धर्मे पुत्र कंचन हिस्सा 1/2 ,रूपचन्द,नरेश पिसरान रामजीलाल जाति गुर्जर हिस्सा 1/3, हिस्सा बराबर बिलारहन,अमरसिहं पुत्र रामजीलाल गुर्जर हिस्सा 1/6 राहिन भारतीय स्टेट बेंक शाखा मैडी मुर्तहिन सा.देह खातेदार के नाम रहेगी। इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावे। तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के हिस्से की भूमि के बब्जे काश्त में बाधा उत्तपन्न नही करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.3.2021 को जारी किया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर